

मूल वाद में डिक्की

(आदेश-20 के नियम-8 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस्.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बड़जलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस्.)

वाद संख्या-145/2018

1. परमेश्वर पिता नन्दा, निवासी - भोजरास तहसील हुरडा ।

-वादीगण

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील हुरडा।

बनाम

-प्रतिवादीगण

प्रेषित:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से परमेश्वर प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 07.05.2018 को अदालत के सम्मक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्की दी जाती है कि दावा वादी डिक्की किया जाकर मौजा भोजरास पटवार हल्का भोजरास तहसील हुरडा कि आराजी न0 1103, 1113, 1160, 1163, 2374, 2378/1, 2501, 2502/1 किता 8 रकबा 13 बीघा 19 बिस्या भूमि में रामकुँवार 1/3, परमेश्वर 1/3, पिता नन्दा रूपी बेवा नन्दा 1/3 दर्ज किया जावें तथा शेष बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

यह आज तारीख 07.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्चे

उपर्युक्त अधिकारी
एचं पदेन सहायक कलक्टर
गुलाबपुरा केम्प



वादी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:-	00	00		00	00